

1995 पंजीयक के प्रतिनिधि के रूप में और इस प्रकार इस आदेश के खिलाफ धारा 69 के तहत पुनरीक्षण याचिका केवल राज्य सरकार के समक्ष हो सकती है न कि स्वयं पंजीयक के समक्ष। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, सहकारी समितियों के पंजीयक का 24 जुलाई, 1996 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी. 9) जिसमें उप-पंजीयक के दिनांक 8 मई, 1995 के आदेश के खिलाफ संशोधन किया गया था, अधिकार क्षेत्र से बाहर था। ऐसा होने पर, वित्तीय आयुक्त का 7 अगस्त, 1997 का आदेश (अनुलग्नक पी-10) जो इस तरह के अवैध आदेश को बरकरार रखता है, भी अवैध होगा। इसलिए हम उपरोक्त दोनों आदेशों को रद्द कर देते हैं।

(7) चूंकि विवादित आदेशों को केवल प्रारंभिक कानूनी मुद्दे पर रद्द कर दिया गया है। हम पक्षों की ओर से उठाए गए अन्य मुद्दों में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं। रिट याचिका की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

आरएनआर

माननीय एन. के. सोधी और बख्शीश कौर के समक्ष.

द किरंज कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड.- याचिकाकर्ता
बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू पी. नही/1997 का 14272

29 मार्च, 2000

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984-
एस. एस. 27 114 और 115- सोसायटी की प्रबंध समिति ने कथित रूप से एक प्रस्ताव पारित किया और प्रत्यर्थी को लिपिक के रूप में नियुक्त किया। उप-पंजीयक ने प्रबंध समिति के सदस्यों को सुनने के बाद प्रस्ताव को रद्द कर दिया। पंजीयक ने अधिनियम की धारा 114 के तहत दायर प्रत्यर्थी की अपील को खारिज कर दिया। पंजीयक के आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। राज्य सरकार के आयुक्त-सह-सचिव ने प्रत्यर्थी की अपील को अनुमति दी और मामले को पंजीयक को भेज दिया। क्या राज्य सरकार पंजीयक के आदेश को संशोधित कर सकती है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी, नहीं। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से निचली अदालत होने के कारण पंजीयक के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती। राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया।

द किरंज कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड 171 बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य (एन. के. सोधी, जे.)

यह माना। उच्च न्यायालय निस्संदेह अधिनियम के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने वाले पंजीयक के साथ-साथ राज्य सरकार के लिए एक उच्चतर न्यायालय है और इसलिए, जब 1996 की सी. डब्ल्यू. पी. 19113 को पंजीयक द्वारा 19 अगस्त, 1996 को पारित आदेश के खिलाफ खारिज कर दिया गया था, तो उनके आदेश को इस न्यायालय में विलय कर दिया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से हीन अदालत होने के कारण पंजीयक के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती, जो इस अदालत में विलय हो गया था।

(पैरा 3)

एस. एस. दलाई, याचिकाकर्ता के वकील।

प्रतिवादीगण 1 से 3 के लिए एन. के. जोशी, ए. ए. जी., हरियाणा

एस. एस. दहिया, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति एन. के. सोधी

(1) 24 मार्च को कथित रूप से पारित एक प्रस्ताव 3 द्वारा, किरंज कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड, किरंज (संक्षेप में सोसायटी) की प्रबंध समिति की 1995 की बैठक में प्रतिवादी सिरी चंद को क्लर्क नियुक्त किया गया था। एक शिकायत प्राप्त हुई कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और संबंधित निरीक्षक, सहकारी समितियों द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि प्रबंध समिति की कार्रवाई नियमों और उपनियमों के विपरीत थी और प्रस्ताव को रद्द करने के लिए एक सिफारिश की गई थी। उप-पंजीयक, सहकारी समितियों ने पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध समिति के सदस्यों को नोटिस जारी किए और उन्हें सुनने के बाद हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 27 के तहत 5 अक्टूबर, 1995 के अपने आदेश द्वारा प्रस्ताव को रद्द कर दिया, इस आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, सिरी चंद ने अधिनियम की धारा 114 के तहत अपील दायर की, जिसकी सुनवाई सहकारी समितियों के पंजीयक, हरियाणा ने की। पंजीयक ने पाया कि प्रबंध समिति के आठ में से छह सदस्यों ने उप नियामक के समक्ष बयान दिया था कि उन्हें 24 मार्च, 1995 को आयोजित कथित बैठक में क्लर्क नियुक्त करने के किसी भी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्हें कभी भी बैठक के लिए कोई एजेंडा नहीं मिला और न ही बैठक हुई। इसलिए, उनका विचार था कि प्रस्ताव को सही ढंग से रद्द कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप 19 अगस्त, 1996 को अपील को खारिज कर दिया गया था। पंजीयक के इस आदेश को सिरी चंद प्रत्यर्थी ने इस अदालत में सिविल रिट याचिका 19113 में चुनौती दी थी।

1996 जिसे 13 दिसंबर, 1996 को सीमा में खारिज कर दिया गया था और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हस्तक्षेप के लिए कोई आधार विवादित क्रम में नहीं बनाया गया है जिसमें तथ्य का शुद्ध निष्कर्ष दर्ज किया गया है।

बर्खास्त कर दिया।”

(2) रिट याचिका खारिज होने के बाद प्रत्यर्थी सिरी चंद ने अधिनियम की धारा 1-15 के तहत राज्य सरकार के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 30 अप्रैल, 1997 के आदेश के अनुसार सरकार, सहकारिता विभाग के आयुक्त-सह-सचिव द्वारा अनुमति दी गई थी और मामले को वापस भेज दिया गया था। एक नए निर्णय के लिए पंजीयक। यह इस आदेश के खिलाफ है कि वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि पंजीयक द्वारा पारित 19 अगस्त, 1996 के आदेश की इस न्यायालय द्वारा 1996 की सिविल रिट याचिका 19113 में पुष्टि की गई थी और इसलिए, राज्य सरकार बाद में उस आदेश को संशोधित नहीं कर सकी और मामले को पंजीयक को भेज दिया। दूसरी ओर, श्री दहिया ने तर्क दिया कि पहले की रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था और इस तरह उच्च न्यायालय का आदेश न्यायिक-विरोधी के रूप में काम नहीं करता था और यह राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 115 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियामक के आदेश को संशोधित करने से रोक नहीं सकता था। हमने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और हमारा मानना है कि रिट याचिका सफल होने की हकदार है। उच्च न्यायालय निस्संदेह अधिनियम के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने वाले कुलसचिव के साथ-साथ राज्य सरकार के लिए भी एक उच्चतर न्यायालय है और इसलिए, जब कुलसचिव द्वारा 19 अगस्त, 1996 को पारित आदेश के खिलाफ 1996 की सिविल रिट याचिका 19113 को खारिज कर दिया गया था, तो उनके आदेश को इस न्यायालय में विलय कर दिया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से हीन अदालत होने के कारण पंजीयक के आदेश को संशोधित नहीं कर सकी, जो इस अदालत में विलय हो गया था। एक विपरीत दृष्टिकोण न केवल सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा, बल्कि निम्न न्यायाधिकरणों को रिट अधिकार क्षेत्र में पारित उच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों के निर्णय को शून्य करने की शक्तियां प्रदान करेगा। यह कानून का इरादा नहीं हो सकता था। यह प्रश्न कि क्या वित्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश, जिसकी इस अदालत ने उस आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका को खारिज करके पुष्टि की थी, की बाद में वित्त आयुक्त द्वारा समीक्षा की जा सकती है, अमरजीत सिंह और अन्य बनाम वित्त आयुक्त मामले में इस अदालत की एक खंड पीठ के समक्ष विचार के लिए आया।

अशोक कुमार गर्ग *बनाम* भारत संघ और अन्य 173 (जवाहर लाई गुप्ता, जे.)

कराधान, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य (1) और विद्वान न्यायाधीशों ने नकारात्मक धारणा में इसका जवाब दिया कि वित्तीय आयुक्त के आदेश का उच्च न्यायालय के आदेश में विलय होने के बाद, जो कि एक उच्च न्यायालय था, निचली अदालत द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी। अमरजीत सिंह के मामले (ऊपर) में इस अदालत की खंड पीठ के फैसले की पुष्टि इस अदालत की पूर्ण पीठ ने श्रीमती. दिन ए/वती बनाम यादविंद्र पब्लिक स्कूल, पटियाला और अन्य (2) और यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय के किसी निर्णय को, भले ही वह सीमित हो, किसी निचली अदालत द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता है, भले ही वह सांविधिक हो। समीक्षा या संशोधन के माध्यम से उपचार। ब्लैटर के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क देना सही था कि पंजीयक के आदेश को, जिसे इस न्यायालय ने 1996 की सिविल रिट याचिका 19113 में बरकरार रखा था, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 115 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित नहीं किया जा सकता था।

(4) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

(5) परिणामस्वरूप रिट याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और हरियाणा सहयोग विभाग के आयुक्त-सह-सचिव द्वारा पारित 30 अप्रैल, 1997 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial
Officer)

जवाहर लाल गुप्ता और एन. के. अग्रवाल से पहले जे. जे.

अशोक कुमार गर्ग, -याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य, -प्रतिवादीगण

सी. डब्ल्यू. पी. नही/1998 का 18725

17 अप्रैल, 1999

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948-एस. 2 (ई) और 2 (एच)-पंजाब सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 का सं. 7-धारा 10-सी-प्रतिवादी को श्रम की आपूर्ति करने वाला याचिकाकर्ता-1997 अधिनियम धारा 10-सी की धारा 10-सी के तहत श्रम की आपूर्ति पर 2 प्रतिशत बिक्री कर लगाना और कटौती करना।

(1) ए. आई. आर. 1978 (पी एंड एच) 329

(2) 1996 (1) पी. एल. आर. 208